

**INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM  
 GOVERNMENT OF UTTARAKHAND**

डाटा सत्यापन हेतु आवेदन पत्र

डाटा सत्यापन कराने हेतु प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भरा जाने वाला प्रार्थना पत्र/Computer Data Sheet

<b>i-आवेदन पत्र संख्या:</b>	TRSOC068080722212077
<b>ii-संस्था का नाम (हिंदी में):</b>	हरी सेवा समिति
<b>iii-संस्था का नाम (अंग्रेजी में):</b>	HARI SEWA SAMITI
<b>iv-संस्था का पता:</b>	Kasra No339, Plot No-30, Shikhar Enclave Colony, Roshnabad Haridwar Haridwar
<b>v-प्रस्ताव की तिथि:</b>	10-JUL-2022
<b>vi-प्रकार:</b>	Non Gov
<b>vii-संस्था का प्रकार:</b>	Social Welfare
<b>viii-कार्यक्षेत्र:</b>	State

**ix-प्रबन्धकारिणी समिति के मुख्य पदाधिकारी (स्मृति पत्र के बिन्दु सं० के अनुसार)**

Sl.No.	Designation	Name of Member	Father/Husband	Address	Occupation	DOB	Mobile No	Aadhar No	Membership Code	AO/PIO
1	अध्यक्ष	Yogesh Verma	D.R. Verma	12/543, BATRA COLONY, SONIPAT, HARYANA 131001	Service	06-FEB-1975	7895625487	4876 8985 0770	Life Time	
2	उपाध्यक्ष	Chhatrpal Singh Deshwar	Darab Singh	GARHI GOVINDA, TEHSIL-MAHAVAN, THANA BALDEV, DAULATPUR, MATHURA, UTTAR PRADESH 281301	Service	01-APR-1983	8791090390	4773 1723 6118	Life Time	
3	सचिव	Prakash Bhandarkar	Balkishan	186, AKOLA BALAGHAT, KIMAPUR, MADHYA PRADESH 481115	Service	28-JUN-1976	8266022212	9854 1174 8610	Life Time	PO
4	कोषाध्यक्ष	Kanhaiya Lal	Dau Dayal Gupta	F-380, ALPHA-2, RAMPUR JAGIR, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH 201306	Service	10-AUG-1970	7457044131	9153 3565 1664	Life Time	AO
5	सदस्य	Rahul Nagar	Satyapal Singh Nagar	348/12-50, ANUPANAGAR, FAIZALPUR, MAHAVEER NAGAR, MEERUT, UTTAR PRADESH 250002	Service	04-APR-1989	8791040001	7045 8700 0244	General	
6	सदस्य	P.L.S. Ramraju	Bapiraju Poranki	30, T.H.D. COLONY, NEAR OXFORD SCHOOL NAVODAYA NAGAR, HARIDWAR, UTTARAKHAND 249403	Service	07-JUL-1980	8439011224	7912 9719 5617	General	
7	सदस्य	Sanjeev Kumar	Raj Kumar	SUBHRI (232) MABALA, HARYANA 133201	Service	15-OCT-1981	9311133655	7966 1748 8373	General	

उपरोक्त विवरणानुसार सोसायटी के डाटा सत्यापन कराने हेतु निम्न संलग्नक सहित प्रपत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सत्य व सही है।

**दिनांक-02-Aug-2022**

आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर  
**Yogesh Verma**  
( अध्यक्ष )

**INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM  
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND****शपथ पत्र****समक्ष- उप निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,**

यह कि मेरा नाम Yogesh Verma पुत्र / पुत्री श्री D.R. Verma पता 12/543, BATRA COLONY, SONIPAT, HARYANA 131001 संस्था हरी सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ।

ii- मेरी जानकारी में इस नाम की संस्था पूर्व में पंजीकृत नहीं है अगर पंजीकृत पायी जाती है तो मैं इस संस्था के नाम परिवर्तन की कार्यवाही करूंगा।

iii- स्मृति पत्र तथा नियमावली में दिये गये विवरण एवं किये गये हस्ताक्षर सभी सही है।

iv-स्मृति पत्र तथा नियमावली मूल रजिस्टर की ही सत्य प्रतिलिपि है।

v-स्मृति पत्र तथा नियमावली की सभी पधिकारियों/ सदस्यों को जानकारी है।

vi-समिति में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।

vii-स्मृति पत्र तथा नियमावली में कोई भी तथ्य नहीं छुपाया गया है।

viii-स्मृति पत्र तथा नियमावली में किये गये संशोधनों की सभी पदाधिकारियों / सदस्यों को जानकारी है।

ix-संस्था के समस्त उद्देश्य सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 एवं 20 के अनुसार पूर्णरूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक होंगे।

x-संस्था धारा 1 व 20 में वर्णित प्रयोजनार्थ पंजीकृत की जा रही है।

xi-संस्था द्वारा लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं किया जायेगा। संस्था द्वारा स्मृति पत्र में वर्णित उद्देश्यों के अनुसार साहित्य, वैज्ञानिक या धर्मार्थ कार्य किये जायेगे।

xii-इस समिति को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व विदेश से कोर्स दान मिलना प्रस्तावित नहीं है। यदि ऐसा कोई अनुदान संस्था को मिलता है तो उसकी सूचना उपनिबन्धक कार्यालय को दी जायेगी तथा उसका उल्लेख आय व्यय लेखों से किया जायेगा।

xiii-विदेश से प्राप्त होने वाले अनुदान/दान हेतु एफ0सी0आर0ए0 में पंजीकरण कराया जायेगा।

उपरोक्त विवरणानुसार सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण कराने हेतु निम्न संलग्नक सहित प्रपत्र प्रस्तुत किये जा रहे हैं यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सत्य व सही है।

**शपथकर्ता****सत्यापन**

इस शपथ पत्र की क्रम संख्या 1 से 13 तक मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। कोई भी बात छुपायी नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करें।

**शपथकर्ता**

नोट- शपथ पत्र अध्यक्ष अथवा सचिव में से किसी एक के द्वारा दिया जाना चाहिए तथा स्वप्रमाणित /स्वहस्ताक्षरित सहित रू० 10/- के Non-judicial stamp paper पर टंकित होना चाहिए।

**INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM  
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND****स्मृति-पत्र**

i-आवेदन पत्र संख्या:	TRSOC068080722212077
ii-संस्था का नाम (हिंदी में):	हरी सेवा समिति
iii-संस्था का नाम (अंग्रेजी में):	HARI SEWA SAMITI
iv-संस्था का पता:	Kasra No339, Plot No-30, Shikhar Enclave Colony, Roshnabad Haridwar Haridwar
v-प्रस्ताव की तिथि:	10-JUL-2022
vi-प्रकार:	Non Gov
vii-संस्था का प्रकार:	Social Welfare
viii-कार्यक्षेत्र:	State
ix-संस्था का उद्देश्य:	संस्था के सभी उद्देश्य चैरिटेबिल तथा अव्यवसायिक हैं। संस्था कोई राजनैतिक ट्रेड यूनियमन तथा संघ की गतिविधियां संचालित नहीं करेगी।

**क्र.स. स्मृति-पत्र****1 पूर्त (Charitable) के लिये कार्य करेगी**

- 1 हर प्रकार की सामाजिक सेवा करना।
- 2 गरीब के हित में समस्त कार्य करना।
- 3 पुराने खंडित बुतों व मंदिरों का उद्धार व रख रखाव करना।
- 4 जड़ी-बूटी उत्पादन कर दवाओं का निर्माण करना व उनका मुफ्त इलाज करना।
- 5 कूड़ा बीनने वाले व स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा देना व दिलाना।
- 6 कंप्यूटर शिक्षा देना व कंप्यूटर में हर प्रकार के कोर्स निमानुसार कराना।
- 7 हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पर नई-नई खोजो से बच्चों को अवगत कराना।
- 8 कुटीर उद्योग स्थापित कर उसके उत्पादन विक्रय कर युवा वर्ग को लाभ पहुंचाना।
- 9 युवा वर्ग को रोजगारपरक शिक्षा देना।
- 10 महिलाओं/युवतियों समस्त दस्तकारी की शिक्षा देकर स्वावलम्बी बनाना।
- 11 तकनिकी व गैर तकनिकी विद्यालय चलाकर शिक्षा देना।
- 12 आई.टी.आई, आई.टी.आई. उपभोक्ता संरक्षण की जनता को जानकारी देना।
- 13 एड्स, कैंसर टी.बी. जैसी घातक बिमारियों के प्रति समाज को जागरूक करना।
- 14 पानी का महत्त्व बताना तथा बारिश के पानी को इखट्टा करने के लिए विधियां बताना व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
- 15 कन्या भ्रूण के प्रति लोगो को सचेत करना।
- 16 शहरों गांवों की सफाई के प्रति जनता को जागरूक करना।
- 17 बाल-मजदूरी रोकने का प्रयास करना व महिलाओं व लड़के-लड़कियों को हर प्रकार शोषण से बचाना।
- 18 किसानों को मृदा व उत्तम बीज सम्बन्धी जानकारी देना।
- 19 स्थान-स्थान पर कानूनी कैंप लगाकर नए कानूनों की जानकारी देना।
- 20 बेसहारा महिलाओं व बच्चों आश्रमों की व्यवस्था करना।
- 21 कुरीतियों को समाप्त करने के लिये कार्य करना।
- 22 समिति के धन का विनियोग आयकर अधिनियम के अंतर्गत सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- 23 समिति की जो भी सम्पत्ति होगी अथवा समय समय पर आय होगी उसका पूर्णतया प्रयोग संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति व उन्नति के लिये होगा।
- 24 दान में चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना, समिति के कार्य हेतु सम्पत्ति का हस्तांतरण करना, विनिमय करना।
- 25 दानी सज्जनों द्वारा दिया धन अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय व राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार के अनुदान उपरोक्त उद्देश्यों के लिए समर्पित रहेगा। समिति किसी भी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति खरीद सकेगी। समिति अपनी किसी भी सम्पत्ति को किराये पर देकर उससे अर्जित धन को समिति के उद्देश्यों पर ही खर्च कर सकेगी।
- 26 उपरोक्त प्रकार के कार्य सम्पादन करने वाली संस्थाओं को दान एवं सहयोग प्रदान करना एवं दान व सहयोग प्राप्त करना।
- 27 स्वास्थ्य, पर्यावरण सम्बन्धी जन-जागरण करना।

28 विकलांगों को डाक्टरों की सहायता दिलवाना व उनमें नवजीवन का संचार करना व ट्राईसाइकिल आदि बाँटना।

29 विकलांगों को कृत्रिम अंग उपलब्ध करना।

30 बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी लोगों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना।

31 बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना तथा ऐसे निःशुल्क अस्पतालों का निर्माण व संचालन करना व चलाना जहाँ समस्त ऑपरेशन व उपचार की निःशुल्क सुविधाएँ प्राप्त हों।

32 ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों, महिलाओं व व्यक्तियों को साक्षर व आत्मनिर्भर बनाने हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

33 बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक, सामाजिक विकास हेतु कार्य करना तथा उनके लिए विद्यालयों, उच्च शिक्षा हेतु तकनीकी (इंजीनियरिंग कॉलेजों आदि) व मेडिकल कॉलेजों (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक व होमियोपैथिक) व विश्वविद्यालयों की स्थापना व संचालन करना।

34 दैविक आपदा (भूचाल, बाढ़, महामारी, अकाल, आदि) एवं दुर्भिक्ष आपदाओं से पीड़ित लोगों की सहायता करना।

35 देश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने हेतु युवकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना।

36 समाज कल्याणार्थ जानवर्धन हेतु पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसन्धान केन्द्रों एवं भवनों का निर्माण करना, कराना।

37 विघटन की स्थिति में समिति की जो भी सम्पत्ति अथवा आय होगी वह सामान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित की जायेगी, उसकी किसी भी दशा में बिक्री नहीं की जा सकेगी।

38 सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को शिक्षा देना एवं छात्रवृत्ति दिलाना, ग्रामीण विकास, व्यायामशाला, धर्मार्थ वैज्ञानिक, साहित्यिक, ललित कला, शैक्षिक उपयोगी जानकारी के प्रसार हेतु कार्य करना।

संस्था के उपयोग सभी उद्देश्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 1 से 20 के अनुसार पूर्ण रूप से चैरिटेबल एवं अव्यवसायिक होंगे तथा यूनियन, ट्रेड यूनियन, राजनैतिक व संघीय गतिविधियाँ संचालित नहीं करेगी।

x-संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदोधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

Sl.No.	Designation	Name of Member	Father/Husband	Address	Occupation	DOB	Mobile No	Aadhar No	Membership Code	AO/PIO
1	अध्यक्ष	Yogesh Verma	D.R. Verma	12/543, BATRA COLONY, SONIPAT, HARYANA 131001	Service	06-FEB-1975	7895625487	4876 8985 0770	Life Time	
2	उपाध्यक्ष	Chhatrpal Singh Deshwar	Darab Singh	GARHI GOVINDA, TEHSIL-MAHAVAN, THANA BALDEV, DAULATPUR, MATHURA, UTTAR PRADESH 281301	Service	01-APR-1983	8791090390	4773 1723 6118	Life Time	
3	सचिव	Prakash Bhandarkar	Balkishan	186, AKOLA BALAGHAT, KIMAPUR, MADHYA PRADESH 481115	Service	28-JUN-1976	8266022212	9854 1174 8610	Life Time	PO
4	कोषाध्यक्ष	Kanhaiya Lal	Dau Dayal Gupta	F-380, ALPHA-2, RAMPUR JAGIR, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH 201306	Service	10-AUG-1970	7457044131	9153 3565 1664	Life Time	AO
5	सदस्य	Rahul Nagar	Satyapal Singh Nagar	348/12-50, ANUPANAGAR, FAIZALPUR, MAHAVEER NAGAR, MEERUT, UTTAR PRADESH 250002	Service	04-APR-1989	8791040001	7045 8700 0244	General	
6	सदस्य	P.L.S. Ramraju	Bapiraju Poranki	30, T.H.D. COLONY, NEAR OXFORD SCHOOL NAVODAYA NAGAR, HARIDWAR, UTTARAKHAND 249403	Service	07-JUL-1980	8439011224	7912 9719 5617	General	

7	सदस्य	Sanjeev Kumar	Raj Kumar	SUBHRI (232) MABALA, HARYANA 133201	Service	15- OCT- 1981	9311133655	7966 1748 8373	General	
---	-------	------------------	-----------	--	---------	---------------------	------------	----------------------	---------	--

xi-हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

दिनांक-02-Aug-2022

(सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर)

**INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM  
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND**

**नियमावली**

1-आवेदन पत्र संख्या: TRSOC068080722212077  
 2-संस्था का नाम (हिंदी में): हरी सेवा समिति  
 3-संस्था का नाम (अंग्रेजी में): HARI SEWA SAMITI  
 4-संस्था का पता: Kasra No339, Plot No-30, Shikhar Enclave Colony, Roshnabad Haridwar Haridwar  
 5-कार्यक्षेत्र: State  
 6-सदस्यता तथा सदस्य की समाप्ति

SNo	Membership	Fee(Rs)	Minimum Qualification	other Criteria	Other Termination Condition
1	आजीवन	1200		NA	Absent for long time,Organization Against Activities,Bankrupt,Criminal Record,Death,Irregular,Mental Disorder,Fee Not Paid,Medically Unfit,Resignation
2	सामान्य	500		NA	Absent for long time,Organization Against Activities,Bankrupt,Criminal Record,Death,Irregular,Mental Disorder,Fee Not Paid,Medically Unfit,Resignation

7-सदस्यता तथा सदस्य की समाप्ति - निम्नलिखित दशाओं में सदस्यता समाप्त की जा सकती हैं

SNo	Common Termination Condition
1	लंबे समय के लिए अनुपस्थित
2	संस्था विरोधी कार्य करने पर
3	दिवालिया होने पर
4	न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर
5	मृत्यु हो जाने पर
6	अनियमित
7	पागलपन हो जाने पर
8	सदस्यता शुल्क न देने पर
9	मेडिकली अनफिट
10	त्याग पत्र देने पर

**दिनांक-02-Aug-2022**

8-संस्था के अंग:- (क) साधारण सभा (ख) प्रबन्धकारिणी समिति

**(क) साधारण सभा:-**

(अ) गठन - सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

(ब) बैठकें - सामान्य बैठक वर्ष में 2 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि - सामान्य बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 3 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(द) गणपूर्ति - बैठक हेतु 67% सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होगी।

(य) विशेष/वार्षिक अधिवेशन की तिथि - विशेष /वार्षिक अधिवेशन की तिथि साधारण सभा की बैठक में 67% बहुमत से तय की जायेगी।

(र) साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय-व्यय का अनुमोदन करना।साधारण सभा के कर्तव्य एवं अधिकार:-साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। संस्था की नीतियों का निर्धारण करना तथा वार्षिक आय-व्यय का अनुमोदन करना।

**(ख) प्रबन्धकारिणी समिति:-**

(अ) गठन - साधारण सभा द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव किया जायेगा। इसमें अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,सचिव,कोषाध्यक्ष,सदस्य होंगे।

(ब) बैठकें - सामान्य बैठक वर्ष में 2 बार तथा विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर कभी भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि - सामान्य बैठक हेतु 7 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा तथा विशेष बैठक हेतु 3 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

(द) गणपूर्ति - बैठक की गणपूर्ति हेतु 67% पदाधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति- 67% पदाधिकारियों के बहुमत से शेष अवधि के लिये साधारण सभा के सदस्यों में से रिक्त हुये स्थानों की पूर्ति कर सकेगी।

(र) कार्यकाल:-प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।





**INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM  
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND****9-प्रबन्धकारिणी समिति तथा प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य:-****क्र.स. अधिकार व कर्तव्य****1 अध्यक्ष**

1 प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देखभाल करना, संस्था के हितार्थ कार्य जो आम सभा से स्वीकृत हो करवाना आदि।

**2 उपाध्यक्ष**

1 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य देखना।

**3 सचिव**

1 कार्यकारिणी समिति की बैठकों की कार्यवाही लिखना, आगामी बैठक में पिछली कार्यवाही की पुष्टि करवाना, वार्षिक बजट बनाना, संस्था के आय-व्यय सम्बन्धी समस्त प्रपत्र तैयार करवाना, चार्टर्ड एकाउंटेंट से आडिट करवाना, आडिट रिपोर्ट प्रबन्धकारिणी के समक्ष पेश करना, संस्था की ओर से पत्राचार करना, कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत नियमों के अधीन कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करना तथा संस्था के हितार्थ ऐसे कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध न हो।

**4 कोषाध्यक्ष**

1 संस्था के कोष का रख-रखाव तथा खाते का संचालन करना।

**5 सदस्य**

1 कार्यकारिणी सदस्य, प्रबंधसमिति को कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे।

**6 अन्य प्रावधान**

1 संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था):- संस्था को कोष किसी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा। खाते से धन का आहरण अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष अथवा प्रबन्धकारिणी द्वारा नामित व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जा सकेगा।

**7 प्रबन्धकारिणी समिति**

1 प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार:-संस्था के सभी कार्यक्रमों का क्रियावयन करना तथा वित्तीय व्यवस्था को देखना। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वार्षिक बजट बनाना तथा साधारण सभा में बजट पास करवाना, योजनायें तैयार करना, कार्यकर्ताओं की नियुक्ति व मुक्ति, दान-अनुदान स्वीकार करना।  
2 प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों/सदस्यों की कुल संख्या 07 होगी जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा तीन सदस्य होंगे। पदाधिकारियों/सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकेगी।

**10-संस्था के नियम/विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया:-**

संस्था के विधान में परिवर्तन, करने हेतु प्रबन्धकारिणी समिति में विधान परिवर्तन का प्रस्ताव पारित करके तथा उसे साधारण सभा द्वारा अनुमोदित करवाकर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 4 ए के अनुसार संस्था के नियमों में परिवर्तन की कार्यवाही के प्रस्ताव की प्रति के साथ 30 दिन के अन्दर ही उन्हें पंजीकरण करने के अनुरोध के साथ निबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। नियमों में परिवर्तनों के पंजीकरण किये जाने की सूचना जारी किये जाने पर ही परिवर्तन मान्य होंगे।

**11-संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था):-**

संस्था का कोष किसी बैंक अथवा डाकघर में रखा जायेगा। खाते से धन का आहरण अध्यक्ष,सचिव,कोषाध्यक्ष, संयुक्त हस्ताक्षरो से किया जा सकेगा।

**12-प्रबन्धकारिणी समिति की वार्षिक सूची तथा संतुलन पत्र:-**

प्रत्येक वर्ष प्रबन्धकारिणी समिति की सूची तथा आय-व्यय लेखे व संतुलन पत्र नियमानुसार उप निबन्धक कार्यालय में जमा किया जायेगा।

**13-संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण/ ऑडिट:-**

आय-व्यय का लेखा परीक्षण नियमानुसार किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउंटैन्ट से करवाया जायेगा।

**14-संस्था द्वारा अथवा संस्था के विरुद्ध सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा- 6 के अनुसार अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व संस्था के अध्यक्ष का होगा।****15-संस्था के अभिलेख:-**

क- सदस्यता रजिस्टर

ख- कार्यवाही रजिस्टर

ग- स्टॉक रजिस्टर

घ- कैश बुक

ङ- रसीद बुक

च- ऐजेण्डा रजिस्टर

**16- संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 13 व 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत की जायेगी।**

दिनांक-02-Aug-2022



**INTEGRATED FINANCE MANAGEMENT SYSTEM  
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND****प्रस्ताव का विधिमान्यकरण**

दिनांक 10-JUL-2022 को Kh.No.339, Plot No.30, Shikhar Enclave Colony, Roshnabad, Haridwar में द्वारा हरी सेवा समिति नामक समिति के गठन का संकल्प निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया:-

**क्र.स. स्मृति-पत्र****1 पूर्त (Charitable) के लिये कार्य करेगी**

- 1 हर प्रकार की सामाजिक सेवा करना।
- 2 गरीब के हित में समस्त कार्य करना।
- 3 पुराने खंडित बुतों व मंदिरों का उद्धार व रख रखाव करना।
- 4 जड़ी-बूटी उत्पादन कर दवाओं का निर्माण करना व उनका मुफ्त इलाज करना।
- 5 कूड़ा बीनने वाले व स्कूल न जाने वाले बच्चों को शिक्षा देना व दिलाना।
- 6 कंप्यूटर शिक्षा देना व कंप्यूटर में हर प्रकार के कोर्स निमानुसार करना।
- 7 हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पर नई-नई खोजों से बच्चों को अवगत कराना।
- 8 कुटीर उद्योग स्थापित कर उसके उत्पादन विक्रय कर युवा वर्ग को लाभ पहुंचाना।
- 9 युवा वर्ग को रोजगारपरक शिक्षा देना।
- 10 महिलाओं/युवतियों समस्त दस्तकारी की शिक्षा देकर स्वावलम्बी बनाना।
- 11 तकनीकी व गैर तकनीकी विद्यालय चलाकर शिक्षा देना।
- 12 आई.टी.आई, आई.टी.आई. उपभोक्ता संरक्षण की जनता को जानकारी देना।
- 13 एड्स, कैंसर टी.बी. जैसी घातक बिमारियों के प्रति समाज को जागरूक करना।
- 14 पानी का महत्त्व बताना तथा बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विधियां बताना व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना।
- 15 कन्या भ्रूण के प्रति लोगो को सचेत करना।
- 16 शहरों गांवों की सफाई के प्रति जनता को जागरूक करना।
- 17 बाल-मजदूरी रोकने का प्रयास करना व महिलाओं व लड़के-लड़कियों को हर प्रकार शोषण से बचाना।
- 18 किसानों को मृदा व उत्तम बीज सम्बन्धी जानकारी देना।
- 19 स्थान-स्थान पर कानूनी कैंप लगाकर नए कानूनों की जानकारी देना।
- 20 बेसहारा महिलाओं व बच्चों आश्रमों की व्यवस्था करना।
- 21 कुरीतियों को समाप्त करने के लिये कार्य करना।
- 22 समिति के धन का विनियोग आयकर अधिनियम के अंतर्गत सम्बन्धित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- 23 समिति की जो भी सम्पत्ति होगी अथवा समय समय पर आय होगी उसका पूर्णतया प्रयोग संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति व उन्नति के लिये होगा।
- 24 दान में चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना, समिति के कार्य हेतु सम्पत्ति का हस्तांतरण करना, विनिमय करना।
- 25 दानी सज्जनों द्वारा दिया धन अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय व राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त सभी प्रकार के अनुदान उपरोक्त उद्देश्यों के लिए समर्पित रहेगा। समिति किसी भी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति खरीद सकेगी। समिति अपनी किसी भी सम्पत्ति को किराये पर देकर उससे अर्जित धन को समिति के उद्देश्यों पर ही खर्च कर सकेगी।
- 26 उपरोक्त प्रकार के कार्य सम्पादन करने वाली संस्थाओं को दान एवं सहयोग प्रदान करना एवं दान व सहयोग प्राप्त करना।
- 27 स्वास्थ्य, पर्यावरण सम्बन्धी जन-जागरण करना।
- 28 विकलांगों को डाक्टरों सहायता दिलवाना व उनमें नवजीवन का संचार करना व ट्राईसाइकिल आदि बाँटना।
- 29 विकलांगों को कृतिम अंग उपलब्ध करना।
- 30 बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी लोगो को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना।
- 31 बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना तथा ऐसे निःशुल्क अस्पतालों का निर्माण व संचालन करना व चलाना जहाँ समस्त ऑपरेशन व उपचार की निःशुल्क सुविधाएँ प्राप्त हो।
- 32 ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों, महिलाओं व व्यस्कों को साक्षर व आत्मनिर्भर बनाने हेतु शिक्षण व प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।
- 33 बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं के शैक्षिक, सामाजिक विकास हेतु कार्य करना तथा उनके लिए विद्यालयों, उच्च शिक्षा हेतु तकनीकी (इंजीनियरिंग कॉलेजों आदि) व मेडिकल कालेजों (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक व होमियोपैथिक) व विश्वविद्यालयों की स्थापना व संचालन करना।
- 34 दैविक आपदा (भूचाल, बाढ़, महामारी, अकाल, आदि) एवं दुर्भिक्ष आपदाओं से पीड़ित लोगों की सहायता करना।
- 35 देश में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने हेतु युवकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्षित करना।
- 36 समाज कल्याणार्थ ज्ञानवर्धन हेतु पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अनुसन्धान केन्द्रों एवं भवनों का निर्माण करना, कराना।

37 विघटन की स्थिति में समिति की जो भी सम्पत्ति अथवा आय होगी वह सामान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तांतरित की जायेगी, उसकी किसी भी दशा में बिक्री नहीं की जा सकेगी।

38 सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को शिक्षा देना एवं छात्रवृत्ति दिलाना, ग्रामीण विकास, व्यायामशाला, धर्मार्थ वैज्ञानिक, साहित्यिक, ललित कला, शैक्षिक उपयोगी जानकारी के प्रसार हेतु कार्य करना।

उपरोक्त संस्था का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत उप निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स में पंजीकृत है तथा उपरोक्त प्रस्ताव का विधिमान्यकरण साधारण सभा के निम्न सदस्यों द्वारा किया गया है।

**सदस्यता तथा सदस्य की समाप्ति**

SNo	Name of Member	Father/Husband	Address	E-Mail	Signature
1	Yogesh Verma	D.R. Verma	12/543, BATRA COLONY, SONIPAT, HARYANA 131001	YOGESHVR66@GMAIL.COM	
2	Chhatrpal Singh Deshwar	Darab Singh	GARHI GOVINDA, TEHSIL-MAHAVAN, THANA BALDEV, DAULATPUR, MATHURA, UTTAR PRADESH 281301	cpdeshwar@gmail.com	
3	Prakash Bhandarkar	Balkishan	186, AKOLA BALAGHAT, KIMAPUR, MADHYA PRADESH 481115	prakash.smit@gmail.com	
4	Kanhaiya Lal	Dau Dayal Gupta	F-380, ALPHA-2, RAMPUR JAGIR, GAUTAM BUDDHA NAGAR, UTTAR PRADESH 201306	kgupta700@gmail.com	
5	Rahul Nagar	Satyapal Singh Nagar	348/12-50, ANUPANAGAR, FAIZALPUR, MAHAVEER NAGAR, MEERUT, UTTAR PRADESH 250002	gujjarraahulnagar@gmail.com	
6	P.L.S. Ramraju	Bapiraju Poranki	30, T.H.D. COLONY, NEAR OXFORD SCHOOL NAVODAYA NAGAR, HARIDWAR, UTTARAKHAND 249403	lokesh.poranki@gmail.com	
7	Sanjeev Kumar	Raj Kumar	SUBHRI (232) MABALA, HARYANA 133201	sanjeevpatlan@yahoo.com	

